न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/04/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/14

अपीलार्थी
श्री प्रतापसिंह, एडवोकेट
कोर्ट कैम्पस, बहरोड (अलवर)–301701

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 12.1.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 08.02.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 06.12.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर बानसूर के वर्तमान पद पर कार्यग्रहण, उनके कार्यालय के मूवमेंट रजिस्टर, वाहन लॉग बुक, राजस्व वाद निस्तारण आदि संबंधी कुल 6 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
4. सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय स्तर पर प्रथम अपील संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से पत्र सं. 191 दिनांकः 24.01.22 के माध्यम से अपील का जवाब प्रस्तुत कर जवाब की प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् का परीक्षण किया गया। अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 06.12.2021 की विषयवस्तु प्रत्यर्थी कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत पत्र सं. 2188–89 दिनांकः 10.12.21 के माध्यम से विहित कालावधि में ही मूल आवेदन सहायक कलक्टर, बानसूर को अन्तरित किया जा चुका है, साथ ही सूचित किया गया कि आवेदन में वांछित सूचना नहीं मिलने पर उनके विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय अति० कलक्टर, द्वितीय, अलवर को प्रस्तुत की जा सकती है।
8. इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील इस न्यायालय में श्रवण योग्य नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। **अतः मूल अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर को हस्तान्तरित की जावे।**
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ **न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर को मूल अपील के साथ भिजवाई जावे।** साथ ही सहायक कलक्टर, बानसूर को भी निर्णय प्रति प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 08.02.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर